



2026:AHC-LKO:21296

उच्च न्यायालय, न्यायिक खंडपीठ इलाहाबाद, लखनऊ

आपराधिक अपील संख्या - 542 वर्ष 2026

अभिनय @ अभिनव चौहान @ गुलबदन चौहान

अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव (गृह विभाग), लखनऊ के माध्यम से एवं अन्य

.....

प्रतिवादीगण

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता	:	मनोज कुमार निषाद, वेद प्रकाश पटेल
प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 12माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) को सुना गया।
2. कार्यालयीय प्रतिवेदन दिनांक 24.03.2026 के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 पर नोटिस की तामील हो चुकी है, किन्तु उसकी ओर से कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. राज्य की ओर से दाखिल प्रति-हलफनामा अभिलेख पर लिया जाता है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वे उक्त प्रति-हलफनामे के संबंध में कोई प्रत्युत्तर दाखिल करना नहीं चाहते हैं।

4. यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(2) के अंतर्गत, वाद संख्या 223 वर्ष 2025 में विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. अधिनियम, अम्बेडकर नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.02.2026 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की गई है, जो कि धारा 108 बी.एन.एस. तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v), थाना सम्मनपुर, जनपद अम्बेडकर नगर से संबंधित है। अतिरिक्त रूप से, उक्त वाद अपराध में अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रार्थना भी की गई है।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनों के अनुसार, परिवादी की पुत्री का एक महावीर चौहान नामक व्यक्ति के साथ संबंध था, जो उड़ीसा में कार्यरत था। अपीलकर्ता को उक्त महावीर चौहान का मित्र बताया गया है तथा आरोप है कि उसने परिवादी की पुत्री को इस आशय से अपने साथ उड़ीसा चलने के लिए प्रेरित/प्रलोभित किया कि उसका विवाह उक्त महावीर चौहान से कराया जाएगा। आगे यह भी आरोपित है कि दिनांक 22.04.2025 को, जब अपीलकर्ता परिवादी की पुत्री को उड़ीसा ले जा रहा था, तब रेलवे स्टेशन राउरकेला पर पुलिस की उपस्थिति देखकर वह परिवादी की पुत्री को वहीं छोड़कर फरार हो गया। आरोपों से यह भी संकेत मिलता है कि तत्पश्चात परिवादी ने अपनी पुत्री का विवाह करा दिया, किन्तु उक्त महावीर चौहान द्वारा किए गए कथित दबाव/प्रेरणा के कारण उसने आत्महत्या कर ली।

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के साधारण अवलोकन मात्र से ही अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपित किसी भी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवश्यक तत्व का गठन परिलक्षित नहीं होता है। अपीलकर्ता की भूमिका केवल उक्त महावीर चौहान के मित्र के रूप में तथा परिवादी की पुत्री को राउरकेला रेलवे स्टेशन तक साथ ले जाने तक ही दर्शाई गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उक्त महावीर चौहान को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या 2065 वर्ष 2025 में पूर्व से ही अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है।

7. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रति-हलफनामे के आधार पर अपील का विरोध किया है, किन्तु यह स्वीकार किया है कि अपीलकर्ता का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा उसकी भूमिका परिवादी की पुत्री के साथ जाने तक सीमित थी और मृतका पर आत्महत्या करने हेतु कथित रूप से दबाव डाले जाने में उसकी भूमिका बताई गई है।

8. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि विवादित आदेश अपीलकर्ता की ओर से किए गए प्रस्तुतिकरणों का समुचित मूल्यांकन किए बिना पारित किया गया है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त विवादित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरांत, इस अवस्था पर, वाद के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना तथा परीक्षण के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के अधीन, यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपित एकमात्र भूमिका परिवादी की पुत्री को उसके घर से राउरकेला रेलवे स्टेशन तक साथ ले जाने की है। यह भी प्रतीत नहीं होता कि अपीलकर्ता द्वारा परिवादी की पुत्री को अपने साथ जाने हेतु किसी प्रकार का अनुचित दबाव, बलपूर्वक प्रेरणा अथवा प्रलोभन दिया गया हो। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से भी धारा 108 बी.एन.एस. के आवश्यक तत्वों का गठन परिलक्षित नहीं होता है, क्योंकि

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपीलकर्ता की कोई सक्रिय अथवा समीपस्थ भूमिका उसमें दर्शाई नहीं गई है। इसी प्रकार, अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों के आवश्यक तत्व भी परिलक्षित नहीं होते हैं।

10. यह भी प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता दिनांक 14.01.2026 से निरुद्ध है तथा उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। तदनुसार, अपील स्वीकृत की जाती है एवं दिनांक 10.02.2026 का आदेश निरस्त किया जाता है।

11. अतएव, उपर्युक्त वाद अपराध में संलिप्त अपीलकर्ता/आवेदक **अभिनय उर्फ अभिनव चौहान उर्फ गुलबदन चौहान** को इस निर्देश के साथ जमानत पर रिहा किया जाए कि वह न्यायालय संतोष हेतु समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करेगा, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, जो न्यायहित में आरोपित की जा रही हैं:-

(i) अपीलकर्ता/आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) अपीलकर्ता/आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा अथवा उन्हें भयभीत/धमकाएगा नहीं।

(iii) अपीलकर्ता/आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो।

(iv) अपीलकर्ता/आवेदक इस आशय का एक उपक्रम प्रस्तुत करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, किसी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(v) अपीलकर्ता/आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, यदि कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 269) के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(vi) यदि अपीलकर्ता/आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (अब बी.एन.एस.एस. की धारा 84) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और अपीलकर्ता/आवेदक उक्त उद्घोषणा में निर्दिष्ट तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 209) के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

यदि कोई लंबित प्रार्थना पत्र हो, तो वह भी *निस्तारित* माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति मनीष माथुर)

दिनांक: 25 मार्च, 2026

सुबोध/

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।